

प्रपत्र — 2.3

परियोजना का नाम

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड के समस्त नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़ा प्रसंस्करण / Land Fill एवं ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या - 136/111(2)/20-29(प्र०आ०)/2018

देहरादून, दिनांक 01 फरवरी 2021

... द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्रति प्रस्ताव में सलग्न की जा रही है।  
वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होते ही शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी तत्काल भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक :-

स्थान :- खटीमा

हस्ताक्षर

अधिरास अमिता

निर्माण खण्ड 100 मि० वि० खटीमा  
नाम और पदनाम  
(सरकार के अधिकारी)

प्रेमक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
राजित,  
उत्तराखण्ड शासन।

संवा म,

1 प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक जनवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद रुधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं कि0मी0 02 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0री0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 3.240 किमी. + 60 मी0 स्पान एवं लागत ₹ 883.76 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 581.04 लाख (रु0 पाँच करोड़ इक्यासी लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0.10 लाख (रु0 दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ग है, स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उररी मद में किया जाय, एक मद के दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

प्रेमक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सावा म,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं कि0मी0 02 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 3.240 किमी. + 60 मी0 स्पान एवं लागत ₹ 883.76 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 581.04 लाख (रु0 पाँच करोड़ इक्कासी लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0.10 लाख (रु0 दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपत्त निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उररी मद में किया जाय, एक मद के दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि सत्वर्ग कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस आदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाएगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय दस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैन्युअल तथा उत्तराखण्ड प्रोवयोरमेंट रुल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अनुमति की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करता समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-31, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-02 नया निर्माण कार्य-53 वृद्ध निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 767/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(रमेश कुमार सुधांशु)  
सचिव

संख्या- / 111(2)/20-29(प्र०आ०)/2018 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
11. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,  
(श्याम सिंह)  
रायुक्त सचिव